R.N.R.

न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल, जसबीर सिंह और हेमंत गुप्ता के समक्ष

रणधीर *सिंह, — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य, — *उत्तरदाताओं*
2002 की सीडब्ल्यूपी संख्या 5786

19 अप्रैल, 2010

भारत का संविधान, 1950 — कला. 226 — पंजाब सिविल सेवा नियम — Rls. 7.3 और 7.5 — धारा 302 के तहत याचिकाकर्ता का रूपांतरण IPC — सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की याचिकाकर्ता को बरी कर दिया —याचिकाकर्ता की बहाली — उत्तरदाताओं के दावे को खारिज करना निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते के लिए याचिकाकर्ता— RI. 7.5 प्रदान करता है कि ऐसी अवधि के लिए गठबंधन का समायोजन होना चाहिए मामले की परिस्थितियों के अनुसार बनाया जा सकता है— उत्तरदाताओं का निर्देशन आरआई के अनुसार एक उचित आदेश पारित करने के लिए. में लेने के बाद 7.5 याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करें.

अभिनिर्णित, 22 फरवरी, 2002 को एक औपचारिक आदेश 21 फरवरी, 2002 के आदेश का अनुसरण करता है. दिनांक -21 फरवरी, 2002 और 22 फरवरी, 2002 को ध्यान में रखते हुए कारणों से रहित हैं तथ्य यह है कि प्रतिवादी की परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए आवश्यक था।

हमारा विचार है कि इस संदर्भ का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब सिविल सेवा नियमों के नियम 7.5 के आधार पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करना प्रतिवादी का काम है। तदनुसार उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उपरोक्त नियमों के नियम 73 के साथ पढ़े गए नियम 7.5 के अनुसार एक तर्कसगत आदेश पारित करें और यह याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार चुनौती देने के लिए खुला होगा ,यदि यह आदेश उसके विरुद्ध जाता है। उक्त आदेश प्रतिवादी द्वारा 19 जुलाई, 2010 को या उससे पहले पारित किया जाएगा।।

(पैरा 3)

आर.के. मलिक, सीनियर वकील, सज्जन सिंह मलिक के साथ, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*

नरेन्द्र हुड्डा, अतिरिक्त. ए.जी., हरियाणा, के लिए *उत्तरदाताओं.*

मुकुल मुदगल, मुख्य न्यायमूर्ति (मौखिक)

निर्णय

(1) यह संदर्भ इस तथ्य पर उत्पन्न हुआ है कि 29 मार्च 1985 को याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एक आपराधिक आरोप के अस्तित्व के कारण निलंबित कर दिया गया था। 8 अक्टूबर, 1985 को, याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिस फैसले की 25 सितंबर, 1986 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपील में पुष्टि की। 2 मार्च, 2001 को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने हरियाणा पर लागू पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 7.5 पर जवाब मांगा है, जो इस प्रकार है:

""सरकार का एक कर्मचारी जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है या तो कर्ज के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए या आपराधिक आरोप में या जो निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है किसी भी अवधि के दौरान निलंबन के तहत माना जाना चाहिए जिसे उसने हिरासत में लिया है या कारावास से गुजर रहा है और किसी भी वेतन और भत्ते को आकर्षित करने की अनुमति नहीं है (इसके अलावा) कोई भी निर्वाह भत्ता जो तदनुसार दिया जा सकता है . इस तरह की अवधि के लिए नियम 7.2 में निर्धारित सिद्धांतों के साथ) उसके खिलाफ की गई कार्यवाही की अंतिम समाप्ति या जब तक उसे हिरासत से रिहा नहीं किया जाता है और उसे फिर से ड्यूटी करने की अनुमति दी जाती है,

जैसा भी मामला हो. इस तरह के लिए उसके भत्ते का समायोजन उसके बाद की अवधि के अनुसार बनाया जाना चाहिए मामले की परिस्थितियां, पूरी राशि केवल में दी जा रही है अधिकारी को दोष से बरी किए जाने की घटना या (यदि उसके खिलाफ की गई कार्यवाही ऋण के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए थी) यह साबित किया जा रहा है कि अधिकारी की देनदारी से उत्पन्न हुआ उसके नियंत्रण या हिरासत से परे की परिस्थितियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुचित किया जाना."

(2) उपरोक्त नियम पर भरोसा करते हुए कहा गया है कि किसी अवधि के लिए भत्ते का समायोजन मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रत आदेश (अनुलग्नक पी-3) दिनांक 21 फरवरी, 2002 इस प्रकार है:

"द्वारा

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
चंडीगढ़.

को

दूर. शिक्षा अधिकारी, भिवानी

मेमो नं. 4 / 42-2001 / Estt.-3
(3) दिनांक 21 फरवरी, 2002

उप: श्री रणधीर सिंह, पीटीआई के लिए डोपिरियन के अनुदान के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट से बरी होने पर बहाली.

संदर्भ में आपका पत्र सं. E-2-2001 / 2176 दिनांक 30 अगस्त, उपर्युक्त विषय पर 2001.

आपको निर्देश दिया जाता है कि श्री रणधीर सिंह, पीटीआई को 2 मार्च, 2001 से बहाल किया जाए और उन्हें उक्त तिथि से सभी ईरादो और उद्देश्यों के लिए ड्यूटी अवधि माना जाए। 29 मार्च 1985 से 1 मार्च 2001 तक की निलंबन अवधि को देय अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाए

Sdi-

अधीक्षक
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा

दिनांक 22 फरवरी, 2002"

(3) 22 फरवरी, 2002 का एक औपचारिक आदेश-अनुलग्नक पी-4, केवल आदेश अनुबंध पी-3 का अनुसरण करता है। हमारे विचार में, आदेश अनुलग्नक पी-3 और पी-4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कारणों से रहित हैं कि प्रतिवादी को मामले की परिस्थितियों को संबोधित करना आवश्यक था। हमारा विचार है कि इस संदर्भ का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपरोक्त नियमों के नियम 7.5 के आधार पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करना प्रतिवादी का काम है। तदनुसार, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उपरोक्त नियमों के नियम 7.3 के साथ पढ़े गए नियम 7.5 के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करें और यह याचिकाकर्ता के लिए कानून के अनुसार हमला करने के लिए खुला होगा। आदेश, यदि यह उसके विरुद्ध जाता है। उक्त आदेश प्रतिवादी द्वारा 19 जुलाई, 2010 को या उससे पहले पारित किया जाएगा।

(4) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि 10 अप्रैल, 2002 के संदर्भ का इस स्तर पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है और संदर्भ को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा